

15563

2
16-9-04

IV/2561
17/9/04 Serial No..... 120
23/9/04

⑧ 1828109
2
22-9-04

From:

G.K. Chaturvedi, H.J.S.,
Registrar (Budget),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To:

The District Judge,
Muzaffarnagar

Request 90

No.

/Admn.(B-II)Section

Dated : September 14, 2004.

Subject : Allotment of the amount of Rs.13,060/- of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Kali Charan-II, A.C.J.M., for his own treatment.

Sir,

With reference to your letter No.64/AC, dated 7.5.04 on the above subject, I am directed to say that the amount of Rs.13,060/- only of reimbursement of medical expenses so incurred by Sri Kali Charan-II, Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffarnagar was sanctioned by the Government through its G.O. No.1966 II-4-2004-53(18)/2003, dated 24.6.04. As such the Court has been pleased to allot you a total sum of Rs.13,060/- (Rupees thirteen thousand and sixty) only in the preliminary unit "49-Medical Expenses" or sub-head "95-District and Sessions Judge" under the account head "2014-Administration of Justice-Ayojanetar-105-District and Sessions Judge", in the current financial year 2004-05 for making its payment to Sri Kali Charan-II.

I am, therefore, to request you kindly to draw the aforesaid amount of Rs.13,060/- (Rupees thirteen thousand and sixty) only and make its payment to Sri Kali Charan-II, under intimation to the Court.

24/9/04
S.O. Admin. (B-II)
15-9-2004

Yours faithfully,

Registrar (Budget)

No. 4087 Admn.(B-II)Section Dated : September 14, 2004.

Sorsk7.

Copy forwarded for information and necessary action to:

- PTF
D.R. (M)
23/9/04
1. The Treasury Office, Muzaffarnagar.
 2. Special Secretary to Government of U.P., Appointments Section-4 Lucknow, with reference to G.O. dated 24.6.04.
 3. Sri K.C. Srivastava, Deputy Registrar (M), High Court, Allahabad.
 4. Sri Kali Charan-II, A.C.J.M., Muzaffarnagar.

By Order of the Court

D.R. (M)

for information only

Examiner's

13/9/04

Registrar (Budget)

May file?

As proposed
Srivastava
23/9/04

After the

24-a-07
P.T. Jodhpur
24-9-04
P.T. Jodhpur
24-9-04

To

The Joint Registrar (Budget)
High Court,
Allahabad

Request-90

118

No. 11349 / II-2561-Admn. (A-1) Dated 26.7.2004

Subject: - Regarding sanction of reimbursement
claim of medical expenses amounting
to Rs. 130.60/- to Sri Kali Charan-II,
Addl. Chief Judicial Magistrate,
Musaffernagar.

Sir,

I am directed to send herewith a copy
of G.O. letter No. 1966/II-4-2004-53(1D)/2003
dated 24-6-2004, on the above subject,
May issue, and to request you kindly to
~~Stoppathu~~ take necessary action, at an early
date, in this matter.

22-7-04

R. L. Manday
22.7.04
S.O. Adm

Encl:-

As above

Issue
Zorwastava
23/7/04

yours faithfully

Zorwastava

Deputy Registrar

RP1418

प्रेषक,
1607

30/6/04

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला जज़,
मुजफ्फर नगर।

नियुक्त अनुभाग-४

विषय:- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उम्मीदवारी कर्मचारी (चिकित्सा परिवर्या) नियमावली, १९८६ वयासंशोधित नियमावली १९८८ के अनुक्रम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या- १९३५/पॉच-६-२००९-२६४/८६, दिनांक २७.६.२००९ में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री काली चरन-२ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर को प्रदेश के अन्दर शील हास्पिटल बरेली में दिनांक-१९.३.२००३ से ०९.०४.२००३ तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय स्वये १३०६०/- (खपये तेरह हजार साठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति, जो शासनादेश संख्या-५१५८/दो-४-२००३-५३(९८)/२००३ दिनांक ३१.३.२००४ द्वारा वित्तीय वर्ष २००३-२००४ में के लिए स्वीकृत की गयी थी, किन्तु वित्तीय वर्ष २००३-२००४ में बजट आवंटित न होने के कारण भुगतान सम्भव नहीं हो सका, का वर्ष २००४-२००५ में भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं। शासनादेश संख्या-५१५८/दो-४-२००३-५३(९८)/२००३ दिनांक ३१.३.२००४ एतद्वारा निरस्त समझा जाए।

२- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्ते द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है, यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समयोजन करके भुगतान किया जाये।

३- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००४-२००५ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-४२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “२०१४-न्याय प्रशासन-आयोजनतार-१०५-सिकिल और सेशन्स न्यायालय-०३-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-४६-चिकित्सा व्यय” के नामे डाला जायेगा।

४- उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/वार्डर्स मूलख्य में संरक्षित हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

S.C. Adm. 2/1/1

भवदीय,

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

१. २ (M) संख्या-१९८८(१)/दो-४-२००४, तददिनांक

११.७.२००४ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आकर्षक कार्यदाही हेतु प्रेषित:-

- (१) महालेखाकार, उम्मीदवाद।
- (२) महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (३) कोषाधिकारी, मुजफ्फर नगर/बरेली।
- (४) संयुक्त निदेशक, कोषागार, क्रेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (५) श्री काली चरन-२, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फर नगर।

अज्ञा से,
(योन्न मोहन)
अनु सचिव

०४ JUL 2004

SCT
Officer

7933

21/5/04

Register No.
File No. IV / 2561
Serial No. 115

21/5/04

RR
21/5/04

R
26.5.04

3
21-5-04.

ग्राम,

बोडे दुर्दो,
निवन्दा ग्राम,
उत्तर प्रायांक,
हलाहल।

ग्राम,

बोडे तीर्थ,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्रियंका उम्भाग-५,
लडानऊ।

परां:

/ प्राप्ति । गण-॥ । उम्भाग, दिनांक: , 2004

फ्रांट:

प्रियंका ग्राम हुस्टिल की पुरी दुर्दो व ताला में।

ग्राम,

Request No

अद्युत प्राप्ति बोडारीकारो बोडो, जो तालोंवाला एवं

स्त्री नाम चाड, उत्तर प्रायांक, हलाहल, जो पृष्ठांत शासनाला उद्या:

SD. Admin. H/A1

5158/11-4-2003-53 [18] / 23, दिनांक: 31-3-2004, के तन्दर्भ में, मुझे ए

SC
D.R.(M)
205-2004 अपनी नियमित छाता के ऊपर शासनाला ग्राम जो भालो उद्या, उपर उद्या

चारिक ग्रिट्टेर, उपर कार वार वार जिसे गये प्रियंका ग्राम की पुरी दुर्दो है।

D.R.(M) रुपा 13,000/- इसी तरह उबार ताल प्राप्ति को स्थोरीत विताओं का

2003-2004 के ग्राम उद्या के उदान लंदा-१२ के उन्नीस लेडा ग्रामि "ग्राम-का-

शासन-ग्रामीनतार-165-दोवानो एवं लालाली-०३ विकास एवं उप चारापाने-

Information
only.
may fill?
Information
Date 04-6-04
for Sri S.K.T.

-१२-प्रियंका ग्राम" में प्राप्त हुई थी, जोका प्राप्त ग्राम "ग्राम-प्रियंका ग्राम" में

प्राप्त ग्राम उद्या न होते थे आर्या, उसी स्थीरता प्राप्त ग्राम । 13,000/-

उप अद्युत उदान चाराधोर, उपर कार, को विताओं ग्राम 2003-2004

में स्थों वितावाला था।

S.D.P.A.

Request-90

ज्ञात : अपरे उम्रतोदा है जि श्री भालो परमा, अपर हुय न्यायिक
प्रिवेट, मुकम्बर कार, के पिंडिता स्थग श्री गुरु धनरामा T/No. 13167/-
के अनुदान हेतु दोने पासे स्थग को दाहु नितीय अफ 2684-2685 के अट-एट
के अनुदान संख्या-92 के उन्नति लेडा इनोफि २०१५-साल प्राप्तान-आलोकेतर-
१०५-दोवाली स्थं तथा न्यायालय-इनीजिआ स्थं तथा स्थापाधारा-११ पिंडिता स्थग
के नामे डासे बने दा उन्नतीहित इतानालेडा प्राप्त हर, अकाल न्यायालय के
प्रीतात उने ए अट करे ताठि श्री भालो परमा, अपर हुय न्यायिक प्रिवेट,
मुकम्बर कार के पिंडिता स्थग को श्री गुरु गुरु देखु अत धनरामा का अपेक्षन
किया जा लेके ।

प्राप्तान

। बोर ऐ रमेंट ।

निवन्धान विभाग

फ़ाक्टि: 2703 / प्राप्तानीय अफ-11 (अनुभाग, दिनांक: 19-5-2006)

प्राप्तीहीन निवाली आत जो हुयनार्दा स्थं ३ लाईक छाटवालो
हुय प्रीतात :-

- 1- अपर न्यायालय, मुकम्बर कार, जो उनके पर संख्या: ८५/स/सी:-
२८८६, दिनांक: ७-५-२८८६ के सन्दर्भ में ।
- 2- डोहारीपारी, रोहो ।
- 3- श्री भालो परमा, अपर हुय न्यायिक प्रिवेट, मुकम्बर कार ।
- 4- ✓ उपरीक्रमालय श्रीप्रदीपरहा, जदा न्यायालय, लालगांव ।

स्थापाद को अडा ले
Circularised
18/05/04

। बोर ऐ रमेंट ।
निवन्धान विभाग

OM

To

The Joint Registrar (Budget)
High Court,
Allahabad

Request-90

113

No. 6855 / IV-2561-Admn. (A-1) Dated - 10-5-04

Subject: - Regarding reimbursement of medical expense amounting to Rs. 13060/- to Sri Kali Choran-II, Addl. Chief Judicial Magistrate Musaffanagar.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of G.O. No. 5190/II-4-2003-53 (107)/03 dated 31-3-2004 on the above subject, ~~for your information and necessary action~~.

Yours faithfully
Ravashava

Deputy Registrar

114

No. 6856 / IV-2561-Admn. (A-1) Dated - 10-5-04

copy forwarded to the District Judge, Musaffanagar, for information with the remark that ~~in~~ regarding allocation of budget for the aforesaid medical reimbursement claim ~~the~~ of Sri Kali Choran-II, Addl. Chief Judicial Magistrate, Musaffanagar

P.T.O.

D.R.CM)

May issue?

~~Information~~

29-4-04
Ravashava
29-4-04
SDM

Pradeep Kumar
30-4-04.

Encl:-

As above

Issue
2 Ravashava
10-5-04

correspondence should be made
to the Joint Registrar (Budget)
High Court, Allahabad.

Screenglasswa

Deputy Registrar

2/2

F	IV/2561
H	112
S	5150
I	पंजीकृता
A	संख्या-५१६८/दो-४-२००३-५३(१८)/०३

13/4/04
प्रेषक,
मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

8
28-५-०५

प्रेषक,

सेवा में,

मोहन सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

क्रेपायिकारी,
बरेली।

नियुक्त अनुषाग-४

विषय:-

विकिता व्यय प्रतिपूर्ति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि उ० प्र० सस्तारी कर्मचारी विकिता परिवर्त्या नियमाकली १६४६ यथासंशोधित १६६८ के अनुक्रम में विकिता विभाग के शासनदेश संख्या-११३५/पौष-६-२००१-२००४/६६ दिनांक २७.६.२००१ में निष्ठा प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री काली घरन-२ अपर मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को प्रदेश के अन्दर शही छारिस्टर बरेली में दिनांक ११.३.२००३ से ०९.४.२००३ तक करायी गयी विकिता पर हुये व्यय रु०- १३०६०/- (सम्पत्ति तेरह छार साठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त विकिता दावे से सम्बन्धित जिला/दाउर्यस मूलस्तम्भ में संलग्न है।

२- उक्त स्वीकृति के भुगतान से पूर्य यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्ते द्वारा इससे पूर्य कोई विकिता अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समयोजन करके भुगतान किया जाये।

३- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००३-२००४ के अव व्यक्त के अनुदान संख्या-४२ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “२०१४-न्याय प्रशासन-आयोजनेतर-१०५-सिक्किल और सेशन्स न्यायालय-०३-जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश-४६- विकिता व्यय” के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: न्योपरि (मूलस्तम्भ में)

भवदीय,

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव

112 100 2004

संख्या-५१६८(१)/दो-४-२००३/दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित:-

- (१) महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
- (२) महानिवेदक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (३) जिला जज, बदायूँ।
- (४) संयुक्त निवेशक क्रेपायार, कबूली रोड, इलाहाबाद।
- (५) श्री काली घरन-२, अपर मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, बदायूँ।

३ अल्प से
(अतीव श्री मोहन)
अनु सचिव
मू.

8/1/04